न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—187/2019/223 (2019/00187)

1. मोहनलाल पुत्र कंवरीलाल,
2. सोहनलाल पुत्र कंवरीलाल,
3. नरेन्द्र कुमार पुत्र कंवरीलाल,
4. मुन्नालाल पुत्र कंवरीलाल,
5. प्रवीण कुमार पुत्र घेवरचंद,
6. संजय जैन पुत्र घेवरचंद,

समस्त जाति महाजन, नि0 सदर बाजार मांगलियावास, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र मूलचंद, जाति महाजन, निवासी मांगलियावास, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती मैनादेवी पत्नि मूलचंद, जाति महाजन, नि0 मांगलियावास, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
3. श्रीमती प्रेमलता पत्नि नाथूलाल,
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र नाथूलाल,
5. रितुराज पुत्र नाथूलाल,
6. श्रीमती मधु पुत्री नाथूलाल,
7. श्रीमती सरोज पुत्री नाथूलाल,
8. शशिकला पुत्री नाथूलाल,

समस्त जाति महाजन, नि0 बी—39 छतरी योजना, वैशाली नगर, अजमेर तहसील व जिला अजमेर ।

9. महावीर चंद पुत्र केसरीलाल, जाति महाजन, निवासी सदर बाजार, मांगलियावास, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
10. मूलचंद पुत्र केसरीलाल, जाति महाजन, नि0 सदर बाजार, मांगलियावास, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
11. अनिल कुमार पुत्र कंवरीलाल महाजन, नि0 548, सध्यपथ, सेन्ट स्टीफन स्कूल के पास, सी—ब्लॉक, पंचशील अजमेर ।
12. दिलीप कुमार पुत्र कंवरीलाल महाजन, नि0 आर0एस0डब्ल्यू0एम0फेब्रिक खन एल0एन0जे0 नगर, मोरड़ी, बांसवाड़ा ।
13. श्रीमती मंजू देवी पत्नि निर्मल प्रकाश,
14. दिनेश कुमार पुत्र निर्मल प्रकाश,
15. श्रीमती मनीषा पुत्री निर्मल प्रकाश,
16. श्रीमती रंजीता पुत्री निर्मल प्रकाश,
17. श्रीमती अंकिता पुत्री निर्मल प्रकाश,

समस्त जाति महाजन, नि0 बस स्टेण्ड के पास, मांगलियावास, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

18. अशोक कुमार पुत्र कैलाशचंद छाबड़ा, जाति महाजन, नि0 पुलिस लाईन, अजमेर तह0 व जिला अजमेर ।
19. मनीष कुमार पुत्र कैलाशचंद छाबड़ा, जाति महाजन, नि0 पुलिस लाईन, अजमेर ।
20. श्रीमती शैलबाला पुत्री कैलाशचंद पत्नि शैलेन्द्र जैन, नि0 जैन मंदिर के पास, जेठाना, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
21. प्रकाशचंद पुत्र ताराचंद, जाति महाजन, नि0 सदर बाजार, मांगलियावास,

तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

22. सुरेशचंद पुत्र ताराचंद महाजन, निवासी पुनियों के दरवाजे के पास, मांगलियावास, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
23. श्रीमती मधु पत्नि रमेशचंद,
24. अशीष पुत्र रमेशचंद,
25. श्रीमती सोनिका पुत्री रमेशचंद,
26. श्रीमती ममता पुत्री रमेशचंद,
    समस्त जाति महाजन, नि0 सी–263, सी–ब्लॉक, पंचशील, माकड़वाली रोड़, अजमेर ।
27. घेवरचंद पुत्र पन्नालाल (मृतक) जरिये वारिसानः–
    27/1– प्रेमलता पत्नि घेवरचंद,
    27/2– महेन्द्र कुमार पुत्र घेवरचंद,
    27/3– सुलोचना पुत्री घेवरचंद,
    27/4– सरला पुत्री घेवरचंद,
    27/5– साधना पुत्री घेवरचंद,
    समस्त जाति महाजन, नि0 सदर बाजार, मांगालियावास, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
28. श्रीमती अनिता पुत्री मूलचंद महाजन, नि0 मांगलियावास, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, दिनांक 18.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 109/2012.

उपस्थितः–

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 28 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 29.

निर्णय

दिनांकः– 13.1.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1/वादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष एक राजस्व अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 विरूद्ध अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दौलतखेड़ा, तह0 पीसांगन में अवस्थित खाता संख्या 150 के खसरा नंबर 1464/334 रकबा 0.75 है0, खाता संख्या 151 खसरा नंबर 275, 276, 278, 279, 280, 303, 308, 309, 329, 329/1231, 333, 1352/334 कुल किता 12 कुल रकबा 2.90 है0 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की भूमियां है । संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है । उक्त आराजी के खसरा नंबर 1464/334 में से मूल खातेदार मूलचंद पुत्र केसरीमल के निहित 2/3

हिस्से को जरिये पंजीकृत दान पत्र के आधार पर जरिये नामांतकरण संख्या 326 दिनांक 21.9.2012 द्वारा वादी के नाम अंकित की शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 31 उक्त आराजी पर सहखातेदार के रूप में काबिज काश्त है । इसी प्रकार खसरा नंबर 333 में से मूल खातेदार के निहित 2/3 हिस्से को वादी द्वारा जरिये पंजीकृत दान पत्र के आधार पर जरिये नामांतकरण संख्या 326 दिनांक 21.9.2012 अंकित की गई तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 31 का संयुक्त रूप से एवं 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 32 का निहित करता है । इस प्रकार उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 32 के संयुक्त खातेदारी काश्तकारी करते आ रहे है जिसका कि आज दिवस तक कोई विधिक विभाजन नहीं हुआ है, आये दिन कब्जे काश्त को लेकर लड़ाई–झगड़ा होता रहता है । अतः वाद स्वीकार कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विधिक विभाजन की आज्ञाप्ति पारित की जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णरू व डिक्री दिनांक 18.6.2016 के द्वारा अंतिम डिक्री जारी करते हुए वादी का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 2 से 31 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये सरसरी तौर पर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय प्रदान किया है जो न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 की पालना रेस्पो0 द्वारा करवाई जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली गई है और विवादित आराजियात को रहन, बय व मुन्तकिल करने पर आमादा हो रहे है जबकि अपीलांटस विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि तहसीलदार ने कुरेजात प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचित नहीं किया एवं कब्जे के अनुसार रिपोर्ट तैयार कर दी गई । अधी0न्याया0 को प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार स्वंय द्वारा नहीं बनाई गई जिससे भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजी में अपीलांटस का पूर्ण रूपेण हक व हिस्सा है इसलिये सभी काश्तकारों के मध्य उनके हिस्से के अनुसार आराजी का एकसमान रूप से विभाजन किया जाना चाहिये था क्योंकि अपीलांटस व अन्य सभी खातेदारों को रोड़ पर लगती हुई आराजी में से बराबर का हिस्सा दिया जाना चाहिये था लेकिन तहसीलदार ने बिना मौका देखे ही रिपोर्ट तैयार की है जिसके आधार पर पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । बहस में आगे कथन किया कि तहसीलदार ने राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती हुई भूमि रेस्पो0 के हिस्से में अंकित की है जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती हुई भूमि को अपीलांटस के हिस्से में भी अंकित किया जाना चाहिये था । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने तहसीलदार को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया था किन्तु तहसीलदार स्वंय ने मौका रिपोर्ट तैयार न कर पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तैयार करवाई है तथा उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलांटस को कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा एकतरफा

में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है । अपीलांटस की अनुपस्थिति में तैयार मौका रिपोर्ट को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 की सूचना प्रार्थीगण/अपीलांटस के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को नहीं दी । प्रार्थीगण को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी जमाबंदी की नकले प्राप्त करने पर हुई जिस पर अपीलांटस ने दिनांक 16.4.2019 को अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तो अधिवक्ता ने अवगत कराया कि प्रकरण का निर्णय दिनांक 18.6.2016 को हो चुका है जिस पर प्रार्थीगण ने उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये दिनांक 16.4.2019 को आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 18.4.2019 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर कानूनी राय लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 विधिसम्मत् है। अधी0न्याया0 ने दिनांक 11.4.2014 को वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से बंटवारा प्राप्त कर दिनांक 18.6.2016 को अंतिम डिक्री पारित की है । यदि अपीलांटस को बंटवारा प्रस्ताव से कोई आपत्ति थी तो उन्हें अधी0न्याया0 के समक्ष अपने ऐतराज प्रस्तुत करने चाहिये थे किन्तु अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष ऐतराज पेश नहीं किये है । अधी0न्याया0 ने उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अंतिम डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस/प्रतिवादीगण को अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था किन्तु प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया । अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम प्रकरण का तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 11.4.25014 को निर्णय पारित कर बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार, पीसांगन को बंटवारे के संबधं में प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये थे । अधी0न्याया0 के आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 4.7.2014 को प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने पक्षकारों को सम्मन जारी करने के आदेश पारित किये । इसके उपरांत पत्रावली में तारीख पेशियां तब्दील होती रही । अधी0न्याया0 की

आदेशिका दिनांक 29.7.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को उभयपक्ष के अभिभाषकगण अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित हुए तथा तहसीलदार से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट पर सुनवाई हेतु समय चाहा गया जिस पर अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण में आगामी तारीख दी गई । इसके उपरांत भी प्रकरण में लगभग 7 पेशियां तब्दील की गई किन्तु अपीलांटस/प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही कोई ऐतराज पेश किया । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 18.6.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को प्रतिवादीगण/अपीलांटस के अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रतिवादीगण की ओर से हिदायत नहीं दिये जाने का कथन किया जिस पर अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की है । उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांटस/प्रतिवादीगण को अनेक अवसर प्रदान किये गये किन्तु प्रतिवादगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष बंटवारा प्रस्ताव के संबंध में कोई जवाब या ऐतराज पेश नहीं किया गया है । अब अपील स्तर पर अपीलांटस द्वारा यह कथन करना कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस/प्रतिवादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, किया गया कथन उचित एवं सद्भाविक प्रतीत नहीं होता है । विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा वाद में प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरांत तहसीलदार, पीसांगन से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत् रूप से वाद में अंतिम डिक्री पारित की गई है जिसमें हमें कोई विधि एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 13.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर